>

Title: Need to appoint Professors as per rules and regulations of UGC by Madhya Pradesh Public Service Commission.

श्री सज्जन वर्मा (देवास): मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कालेज प्राध्यापकों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर हुए घोटाले की जानकारी के साथ मैं भारत सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 19.01.2009 को 23 विषयों के लिए प्राध्यापकों के 385 पर हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। यह पद प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी के अंतर्गत आता है। यू0जी0सी0 के वर्ष 2000 के मार्ग दर्शन के अंतर्गत उच्चस्तर का प्रकाशित कार्य, शोध में सक्रीय संलग्नता,शोध का निर्देशन तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नयूनतम 10 वर्षों का अध्यापन, अध्यापक पद के लिए अर्हता के रूप में निर्धारित है। जबकि नियमों की अवहेलना कर 08.08.2011 के शुद्धिकरण पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनुदान प्राप्त निजी कॉलेजों/िवश्वविद्यालयों में 10 साल के अध्यापक अनुभव प्राप्त पी0एच0डी0 डिग्रीधारी जो पार्ट टाईम/संविदा/अतिथि अध्यपकों को भी साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी गई।

लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश द्वारा विज्ञापन में 12,000-420-18,300 का वेतनमान प्रकाशित किया जो कि सर्वथा गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश में अप्रैल 2009 ये छठा वेतन आयोग लागू हो चुका है जिसमें प्राध्यापकों के लिए 37,400-10,000-63,000 वेतनमान लागू हो चुका है।

इस वेतनमान को लागू करने के लिए यू0जी0सी0 नई दिल्ली ने 80 प्रतिशत अनुदान के रूप में एक बड़ी राशि मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराई, इस शर्त पर कि सरकार यू0जी0सी0 के 2010 के नोटिफिकेशन के भर्ती नियमों व अन्य सभी अनुशंसाओं को बिना फेरबदल किये लागू करेगा।

साथ ही यू0जी0सी0 ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिये कि वर्ष 2010 के दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राध्यापकों की नियुक्ति में अकादमिक परफार्मेंस इंडिकेटर को आधार बनाया जाना चाहिए जबकि मध्य प्रदेश में सिर्फ साक्षात्कार आयोजित कर नियुक्ति की गई है, जो दोषपूर्ण है एवे निदेर्शों के अनुरूप नहीं है।

अंत में मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त मामले में शीघ्र न्यायोचित कार्यवाही कराइ जाये।